

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद ।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम० आर० केश नं०- 155/2021

—:आदेश:—

22/11/22

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर के द्वारा अपने पत्रांक- 877, दिनांक - 23.07.2022 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक 1. ऋषि महतो, 2. रोहन महतो, दोनों के पिता- स्व० शम्भु महतो, साकिम- भेलाटॉड़, पो०- नागनगर, थाना- बरवाअड्डा, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- भेलाटॉड़, मौजा नं०-89, पुराना खाता सं०- 63, पुराना प्लॉट नं०- 2228, 2229, नया खाता नं०- 247, नया प्लॉट नं०- 1488, रकबा- 8.65 डिसमील भूमि क्रेता मुंदिया देवी, पति- स्व० रामदेव महतो, साकिम- महतोडीह, भूतगढ़िया बस्ती, पो०- जीतपुर, थाना- जोड़ापोखर, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही जाति के कुरमी (महतो) हैं तथा क्रेता थाना- जोड़ापोखर एवं विक्रेता थाना- बरवाअड्डा, जिला- धनबाद के निवासी हैं। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 824.75 डिसमील भूमि शेष बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति अंचल अधिकारी एवं उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।